A-PDF OFFICE TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 राजस्व अपील प्राधिकारी,अजमेर)

अपील संख्या :–11/2018/225 (2018/00011)

1. श्रीमती हाबू देवी पत्नि भागा,
2. देवकरण पुत्र सरदारा,
3. गीता पुत्री सरदारा,
4. सुगनी पुत्री सरदारा,
5. मतिया पुत्री सरदारा,
6. मनभर पुत्री सरदारा,
7. श्याना पुत्री सरदारा,
8. हीरि पुत्र बालू,
9. श्योजी पुत्र बालू,
10. बागा पुत्र बालू,
11. श्रीमती बन्नी पत्नि औंकार,
12. बीरम पुत्र औंकार,
13. लाला पुत्र औंकार,
14. श्रीमती कमला पुत्री औंकार,
15. श्रीमती न्याली पुत्री औंकार,
16. श्रीमती भंवरी पत्नि श्रवण,
17. पोलू पुत्र श्रवण,
18. गोपाल पुत्र श्रवण,
19. गणेश पुत्र श्रवण,
20. श्रीमती सुगनी पत्नि देवा,
21. रामा पुत्र देवा,
    समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम माकड़वाली, तहसील व जिला अजमेर
22. श्रीमती लाडा पत्नि अम्बालाल, जाति गुर्जर, निवासी रामनगर, तह0 व जिला अजमेर ।
23. भंवरलाल उर्फ कालू पुत्र अम्बालाल, नि0 रामनगर, तह0 व जिला अजमेर।
24. रामदेव पुत्र अम्बालाल, नि0 रामनगर, तह0 व जिला अजमेर ।
25. मुकेश उर्फ नाथू पुत्र बीरम, नि0 माकड़वाली, तह0 व जिला अजमेर ।
26. घीसू उर्फ रामचंद्र पुत्र बीरम, नि0 माकड़वाली, तह0 व जिला अजमेर ।
27. छोटू पुत्र सार्दुल, नि0 माकड़वाली, तह0 व जिला अजमेर ।
28. चतरा पुत्र सार्दुल (फौत) जरिये वारिसानः–
    28/1– श्रीमती छोटी पत्नि सार्दुल,
    28/2– मतिया पुत्री सार्दुल,
    28/3– सीमा पुत्री सार्दुल,
    28/4– ज्ञाना पुत्री सार्दुल,
    28/5– काली पुत्री सार्दुल,
    निवासीगण माकड़वाली, तह0 व जिला अजमेर ।

29. बीरम पुत्र सार्दुल सार्दुल, नि0 माकड़वाली, तह0 व जिला अजमेर ।
30. श्रीमती संतोष पुत्री अम्बालाल, नि0 रामनगर, तह0 व जिला अजमेर ।
31. कोयली पत्नि बीरम, नि0 माकड़वाली, तह0 व जिला अजमेर ।
32. श्रीमती गीता पुत्री बीरम, नि0 ग्राम माकड़वाली, तह0 व जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. भवानीराम गहलोत पुत्र अमरराम गहलोत, जाति माली, निवासी हरिनगर, शास्त्री नगर रोड़, अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोर्डेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 26.12.2017 राजस्व प्रार्थना प संख्या 11/2015.

उपस्थितः-

1. श्री विजयसिंह रावत, वकील अपीलांट संख्या 1 से 28 एवं 30 से 32.
2. श्री गिरीश पारीक वकील अपीलांट संख्या 29.
3. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः-11.4.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2018 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 225 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251-ए राज0काश्त0अधि0 विरूद्ध अपीलांट्स/अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1048 पर आवागमन हेतु रास्ता अप्रार्थीगण/अपीलांट्स संख्या 1 लगायत 32 की खातेदारी कृषि भूमियों वर्तमान खसरा नंबर 1038, 1041, 1042 की दक्षिणी सींव से लगता हुआ आगे खसरा नंबर 1053 के मध्य होकर खसरा नंबर 1049 की

दक्षिणी सींव से लगता हुआ रेस्पो0 संख्या 1 की उक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1048 पर आवागमन हेतु 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 26.12.2017 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251-ए राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर 20 फीट चौडा रास्ता प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर 1048 पर आवागमन एवं ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु ग्राम माकड़वाली अवस्थित खसरा नंबर 1038, 5314/1041, 1042, 1053, 1050/3866 में से दिये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की बहस सुनी गई। xx

3- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1048 में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1038, 1041, 1042 की दक्षिणी सींव से लगता हुआ आगे खसरा नंबर 1053 के मध्य में से होकर खसरा नंबर 1049 के दक्षिणी सींव से लगता हुआ एकमात्र रास्ता होने तथा उसी रास्ते का उपयोग किये जाने एवं अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के संबंध में रेस्पो0 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथन गलत है क्योंकि रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से कोई रास्ता नहीं है तथा ना ही रेस्पो0 कभी अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से अपने खेतों में जाने के लिये रास्ते का उपयोग करते आये है जबकि वास्तविकता यह है कि रेस्पो0 संख्या 1 के खेतों मे जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग सिवायचक नदी खसरा नंबर 959 की पाल पर से उपलब्ध है तथा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 एवं काश्तकारों द्वारा उक्त पाल को रास्ते के रूप में उपयोग एवं उपभोग में लिया जाता रहा है तथा आज भी उपयोग में लिया जा रहा है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार, अजमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्टस को नजरअंदाज कर अपीलांट्स की खातेदारी कृषि भूमि का आकार, स्वरूप एवं उसकी उन्नत एवं उपजाऊ भूमि को पूर्णतया नष्ट कर रास्ते की भूमि में तब्दील किये जाने के आदेश पारित किये है जो पूर्णतया विधिविरूद्ध है ।

4- विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के आदेशानुसार प्रकरण में मौका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2016 को तहसीलदार, अजमेर द्वारा प्रस्तुत की गई तत्पश्चात् दिनांक 5.12.2016 को भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, दोनों ही मौका रिपोर्टस में रेस्पो0 संख्या 1 का उसकी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नंबर 959 के किनारे पाल पर से होना स्पष्ट उल्लेखित किया गया है परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उक्त मौका रिपोर्टस को नजरअंदाज कर अपीलांट्स के खेतों के मध्य से होकर रास्ता दिये जाने के विधिविरूद्ध

आदेश पारित किये है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 का मुख्य प्रावधान यह है कि ''आवश्यकता आतयन्तिक होनी चाहिये एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव होना चाहिये'' किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 के प्रकरण में वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स के खेतों के मध्य से रास्ते के आदेश पारित करने में भारी त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष पूर्व में भी धारा 251–ए राज0काश्तकारी अधि0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1041, 1043, 1044, 1045 एवं 1046 में से रास्ता होने का कथन किया था किन्तु खसरा नंबर 1046 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज होने तथा मृतको के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने से रेस्पो0 ने उक्त प्रार्थना पत्र विड्रो कर लिया था तथा नवीन प्रार्थना पत्र संख्या 11/2015 पुनः प्रस्तुत किया है । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र विड्रो कर लिये जाने पर उसी अनुतोष बाबत् पुनः नवीन प्रार्थना पत्र पेश किया जो रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत से बाधित होने के कारण संधारण योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है ।

5- विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 विवादित भूमि पर आवासीय कॉलोनी बनाये जाने की नियत से अपीलांट्स की खातेदारी भूमियों में रास्ते हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । विवादित भूमि अपीलांट्स की एकमात्र जीविकापार्जन की कृषि भूमियां है और यदि विवादित भूमि में से रास्ता निकाला जाता है तो अपीलांट्स को खेती कार्य में व्यवधान उत्पन होगा । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 6.11.2017 को सुनवाई की जाकर मौका निरीक्षण कर पुनः मौका रिपोर्ट तहसीलदार से तलब किये जाने हेतु दिनांक 28.11.2017, 12.12.2017, 26.12.2017 नियत की थी, तथा प्रकरण में दिनाक 26.12.2017 को उक्त रिपोर्ट पत्रावली पर तलब होने पर अधी0न्याया0 ने प्रकरण में अंतिम बहस हेतु आगामी पेशी नियत किये जाने तथा नवीन रिपोर्ट अपीलांट्स को उपलब्ध कराये बिना दिनांक 6.11.2017 को हुई सुनवाई के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण के विचाराधीन रहते अप्रार्थी संख्या 28 चतरा पुत्र सार्दुल का स्वर्गवास होने के संबधं में मौखिक निवेदन किया गया था परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने मृतक चतरा के वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है ।

6- विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट्स का खेत दो भागों में बंट गया है जो डी0एन0जे0 2018 (रेवेन्यू) पेज 36 में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत के

विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील ने बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष पटवारी हल्का ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है जबकि धारा 251–ए के प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी को स्वंय मौके का निरीक्षण करना चाहिये था अथवा तहसीलदार या भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी से मौके का निरीक्षण करवाना चाहिये था । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट्स ने आर0आर0टी0 2017 पेज 342 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया । विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2016–17 पेज 597, 677, आर0आर0टी0 2016 पेज 1281, आर0आर0टी0 2014 पेज 40, आर0आर0टी0 2016 पेज 649 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 26.12.2017 अपास्त किये जाने की प्रार्थना की ।

7- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 खसरा संख्या 1048 का खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नंबर 5314/1041 देवकरण पुत्र सरदारा वगैरह की खातेदारी में है । खसरा नंबर 1053 हरि पुत्र बालू वगैरह की खातेदारी में है, खसरा नंबर 1050/3866 भंवरी देवी वगैरह की खातेदारी में है तथा खसरा संख्या 1042 अनोपी वगैरह की खातेदारी में है । इस प्रकार अलग–अलग खसरा नंबरान के अलग–अलग खातेदार काश्तकार है । रेस्पो0 संख्या 1 के खसरा नंबर 1048 पर जाने हेतु वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । अपीलांट्स खसरा नंबर 959 की पाल से वैकल्पिक रास्ता होने का कथन कर रहे है किन्तु खसरा नंबर 959 की किस्म नदी है जो कि सिवायचक होकर अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है तथा उक्त नदी लगभग 15 फीट गहरी है तथा विधिअनुसार नदी, नालों एवं तालाब की जमीन में कानूनन रास्ता नहीं दिया जा सकता है एवं ना ही रास्ते का अनुतोष ही दिया जा सकता है । प्रकरण में जहां तक नदी के किनारे पाल होने संबंधी प्रश्न के क्रम में राजस्व नक्शे 1983–1984 के अनुसार नदी खसरा संख्या 959 के दक्षिण दिशा में लगता हुआ कुआं खसरा संख्या 1040 है तथा उसके आगे खसरा नंबर 1045 व 1046 अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज सिवायचक भूमि है । इस प्रकार नदी खसरा नंबर 959 के दक्षिण दिशा की और कोई पाल अवस्थित होना राजस्व नक्शे में परिलक्षित नहीं होता है एवं दक्षिण दिशा की और भूमि कुआं खसरा संख्या 1040 तथा खसरा नंबर 1045 व 1046, जो अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होने से इन खसरा नंबरान में से रास्ता नहीं दिया जा सकता है । इसी कारण मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 21.11.2016 एवं दिनांक 5.12.2016 में न्यायालय द्वारा वांछित रिपोर्ट प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर की नहीं दी जाकर राजस्व स्टाफ द्वारा यह सुझाव दिया कि सिवायचक नदी खसरा नंबर 959 के सहारे से रास्ता दिया जा सकता है जबकि खसरा नंबर 959 नदी के सहारे कुआं खसरा नंबर 1040 एवं सिवायचक अजमेर विकास प्राधिकारण की भूमि खसरा नंबर 1045 व 1046 है जिसमें से विधिनुसार रास्ता नहीं

दिया जा सकता है । इस संदर्भ में रेस्पो0 के द्वारा दिनांक 24.7.2017 को उपरोक्त दोनों मौका पर्चा रिपोर्टस पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसे न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनकर, स्वीकार कर रिपोर्ट तलब की गई । उक्त रिपोर्ट दिनांक दिनांक 13.12.2017, जो कि हल्का गिरदावर द्वारा पटवारी हल्का की मौजूदगी में बनाई गई थी, में क्रम संख्या 4 पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा इसके पूर्व भी रिपोर्ट दिनांक 14.8.2016 में क्रम संख्या 2 पर हल्का पटवारी द्वारा यह उल्लेखित किया गया है कि अधिक वर्षा होने पर खसरा नंबर 959 गै0मु0 नदी में से जा रहा रास्ता बंद होने की संभावना रहती है । इस प्रकार अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के विरूद्ध कोई आपत्ति पेश नहीं की गई । इस प्रकार रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 की मौका पर्चा रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

8- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि वर्षा के समय नदी में पानी भर जाने से रेस्पो0 उक्त नदी के रास्ते से अपने खेत खसरा नंबर 1048 पर आवागमन नहीं कर सकता है तथा खसरा पूर्व में रेस्पो0 संख्या 1 ने खसरा नंबर 1038, 1041, 1043, 1045, 1046 में से रास्ता हेतु आवेदन किया था किन्तु पटवारी हल्का माकड़वाली द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.11.2017 से अधी0न्याया0 को अवगत कराया कि खसरा नंबर 1045 एवं 1046 राजस्व रिकार्ड में नगर सुधार न्यास, अजमेर के नाम दर्ज होकर आबादी भूमि है जिसमें से रास्ता नहीं दिया जा सकता है । इसीलिये रेस्पो0संख्या 1/प्रार्थी ने अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 3.8.2015 को अनुमति प्रदान करने पर पुनः नवीन प्रार्थना पत्र संख्या 11/2015 अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0 अधि0 प्रस्तुत किया है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अपीलांट ने अनुमति बाबत् पारित आदेश दिनांक 3.8.2015 को कोई चुनौती नहीं दी है। अपीलांटस का यह कथन कि रेस्पो0 द्वारा एक बार प्रार्थना पत्र विड्रो कर लिये जाने पर समान अनुतोष बाबत् पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया जाना रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत से बाधित होने से रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत पश्चात्वर्ती प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं होने के संबंध में किया गया कथन मान्य नहीं है। प्रकरण में जहां तक अपीलांटस का यह ऐतराज कि अपीलांट संख्या 28 चतरा की मृत्यु होने पर उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर सुना नहीं गया है किन्तु इस संबंध में अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है तथा चतरा खसरा नंबर 1049 का सहखातेदार है एवं खसरा नंबर 1049 के अन्य सहहिस्सेदार व चतरा के भाई अधी0न्याया0 में जरिये अधिवक्ता उपस्थित थे तथा प्रभावी पैरवी की जा रही थी । खसरा नंबर 1049 के अन्य सहखातेदारों के हित भी मृतक चतरा के समान ही है जिन्होंने संपूर्ण सहखातेदारान के हितों हेतु अपना पक्ष अधी0न्याया0 के समक्ष रखा है । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1148 एवं

ए0आई0आर0 1971 सुप्रीम कोर्ट पेज 742 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

9- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट्स खसरा नंबर 959 में से वैकल्पिक रास्ता होने का कथन करते है कि उक्त खसरा नंबर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 नदी दर्ज है जिसमें से रास्ता नहीं दिया जा सकता है । उक्त खसरा नंबर 1048 की सींव से 15 फीट गहरा है तथा वर्षा के समय पानी भर जाता है जिससे आवागमन संभव नहीं है । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 980 का न्यायिक दृष्टांत पेश कर कथन किया कि राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 251-ए के प्रावधानों के अनुसार यदि वैकल्पिक रास्ता प्राकृतिक बाधाओं से युक्त है व रेतीला है तो नया रास्ता स्वीकृत करने का आदेश न्यासंगत है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट्स अपास्त कर अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् रखा जावे ।

10- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ने अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1048 पर आवागमन हेतु रास्ते बाबत् प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251-ए राज0काश्त0अधि0 पेश किया जिस पर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा अपने जवाब में आपत्ति प्रस्तुत की कि रास्ते बाबत् चाहा गया अनुतोष खसरा नंबर 1045 व 1046 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज होने के कारण उक्त खसरा नंबरान में रास्ता नहीं दिया जा सकता है । इस पर रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष पूर्व प्रकरण संख्या 12/2014 को नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वीकृती के साथ विड्रो करने हेतु आवेदन किया जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 3.8.2015 को रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वीकृति के साथ पूर्व प्रार्थना पत्र को विड्रो किये जाने के आदेश पारित किये तथा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा उक्त आदेश को चुनौती नहीं दिये जाने से उक्त आदेश अंतिम आदेश की श्रेणी में है । चूंकि प्रकरण संख्या 12/2014 पर गुणावगुण पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाने के फलस्वरूप रेसज्यूडिकेटा का सिद्धांत नवीन प्रार्थना पत्र संख्या 11/2015 पर लागू नहीं होता है । इस कारण अपीलांट्स द्वारा इस संबंध में किया गया तर्क/ऐतराज स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । इसी प्रकार अपीलांट्स द्वारा यह कथन करना कि खसरा नंबर 959 के सहारे-सहारे पाल पर से आवागमन किया जा सकता है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नदी के किनारे पाल होने का प्रश्न राजस्व नक्शे 1983-1984 के अनुसार नदी खसरा संख्या 959 के दक्षिण दिशा में लगता हुआ कुआं खसरा संख्या 1040 है तथा उसके आगे खसरा नंबर 1045 व 1046 अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज सिवायचक भूमि

है । इस प्रकार नदी खसरा नंबर 959 के दक्षिण दिशा की और कोई पाल अवस्थित होना राजस्व नक्शे में परिलक्षित नहीं होता है एवं दक्षिण दिशा की और भूमि कुआं खसरा संख्या 1040 तथा खसरा नंबर 1045 व 1046 जो अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होने से इन खसरा नंबरान में से विधिक रूप से रास्ता नहीं दिया जा सकता है । प्रकरण में जहां तक मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के संबंध में अपीलांट्स द्वारा यह आपत्ति करना कि हल्का गिरदावर मौके पर नहीं आये थे तथा तहसील कार्यालय में ही रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये है संबंधी कथन मानने योग्य नहीं है क्योंकि रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 पर हल्का गिरदावर एवं हल्का पटवारी दोनो के हस्ताक्षर है तथा इस संबधं में अपीलांट्स द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि हल्का गिरदावर मौके पर नहीं गये हो तथा दिनांक 13.12.2017 की रिपोर्ट पर गिरदावर ने तहसील कार्यालय में हस्ताक्षर किये हो । इस संबंध में अपीलांट्स द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष कोई ऐतराज किया जाना अधी0न्याया0 की पत्रावली से भी परिलक्षित नहीं होता है । इस कारण अपीलांट्स द्वारा उक्त संबंध में किया गया ऐतराज स्वीकार योग्य नहीं है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है ।

11- पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 21.11.2016 एवं दिनांक 5.12.2016 में न्यायालय द्वारा वांछित रिपोर्ट प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर की नहीं दी जाकर राजस्व स्टाफ द्वारा यह सुझाव दिया कि सिवायचक नदी खसरा नंबर 959 के सहारे से रास्ता दिया जा सकता है जबकि खसरा नंबर 959 नदी के सहारे कुआं खसरा नंबर 1040 एवं अजमेर विकास प्राधिकारण की सिवायचक भूमि खसरा नंबर 1045 व 1046 है जिसमें से विधिनुसार रास्ता नहीं दिया जा सकता है । इस संदर्भ में रेस्पो0 के द्वारा दिनांक 24.7.2017 को उपरोक्त दोनों मौका पर्चा रिपोर्टस पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसे न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनकर, स्वीकार कर तृतीय मौका रिपोर्ट तलब की गई । उक्त रिपोर्ट दिनांक दिनांक 13.12.2017, जो कि हल्का गिरदावर द्वारा पटवारी हल्का की मौजूदगी में बनाई गई थी, में क्रम संख्या 4 पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा इसके पूर्व भी रिपोर्ट दिनांक 14.8.2016 में क्रम संख्या 2 पर हल्का पटवारी द्वारा यह उल्लेखित किया गया है कि अधिक वर्षा होने पर खसरा नंबर 959 गै0मु0 नदी में रास्ता बंद होने की संभावना रहती है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है । इस प्रकार दिनांक 13. 12.2017 की मौका पर्चा रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

12- प्रकरण में जहां तक अपीलांट्स का यह ऐतराज की अपीलांट संख्या 28 मृतक चतरा के विरूद्ध अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया

गया है जो अवैध एवं शून्य है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक चतरा की और से न तो कोई जवाब प्रस्तुत किया गया था एव ंना ही कोई वकील नियुक्त किया गया था । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस संबंध में अपीलांट्स द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है तथा चतरा खसरा नंबर 1049 का सहखातेदार है एवं खसरा नंबर 1049 के अन्य सहिस्सेदार व चतरा के भाई अधी0न्याया0 में जरिये अधिवक्ता उपस्थित थे तथा उनके द्वारा प्रभावी पैरवी की जा रही थी। खसरा नंबर 1049 के अन्य सहखातेदारों के हित भी मृतक चतरा के समान ही है जिन्होंने संपूर्ण सहखातेदारान के हितों हेतु अपना पक्ष अधी0न्याया0 के समक्ष रखा है । इस प्रकार खसरा नंबर 1049 के बाबत प्रभावी प्रतिनिधित्व (Sufficiency of representation) था । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1148 एवं ए0आई0आर0 1971 सुप्रीम कोर्ट पेज 742 के न्यायिक दृष्टांत पेश किया जो प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है तथा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है । अतः इस संबंध में अपीलांट्स द्वारा उठाया गया ऐतराज अपास्त किया जाता है । हमने विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 980 का अवलोकन किया जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि यदि आवेदक के खेत पर जाने हेतु रास्ता नहीं है, वैकल्पिक रास्ता प्राकृतिक बाधाओं से युक्त है, यह रेतीला है तो नया रास्ता स्वीकृत करने का आदेश न्यायसंगत है । विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स का यह कथन कि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट्स के खेत खसरा नंबर 1053 दो भागों में बंट गया है जिससे अपीलांट्स को खेती कार्य करने में बाधा उत्पन्न होगी । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार, अजमेर के बंटवारा आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 1053 के पुराना खसरा नंबर 2461 व 2462 थे जिनका पक्षकारों के मध्य बंटवारा होकर खसरा नंबर 2461/1, 2461/2 एवं 2462/1 व 2462/2 नंबर कायम किये गये तथा उक्त आदेश की पालना में नामांतकरण संख्या 1269 तस्दीक किया गया है । इस प्रकार वर्तमान में खसरा नंबर 1053 एक चक न होकर चार भागों में विभक्त है । अधी0न्याया0 द्वारा खसरा नंबर 1038, 1041, 1042 एवं 1053 जो चार भागों में विभक्त है, के एक भाग की सींव एवं खसरा नंबर 1049 के सींव में किनारे-किनारे ही रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये है । इसलिये अपीलांट्स का यह कथन कि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट्स खेत खसरा नंबर 1053 दो भागों में विभक्त हो जाने संबंधी कथन उचित प्रतीत नहीं होता है ।

13- इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के अनुसार खसरा नंबर 959 नदी एवं खसरा नंबर 1045 व 1046 जो कि अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होने से विधि अनुसार उक्त खसरा नंबरान में रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1048 में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना

विधिअनुसार वर्जित होने से अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् है जिसमें हम किसी प्रकार कि कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना नहीं पाते है ।

14- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 26.12.2017 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 11/2018 (2018/00011) बउनवानी श्रीमती हाबू देवी बनाम भवानीराम गहलोत को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2015 बउनवान भवानीराम बनाम श्रीमती हाबूदेवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2017 को यथावत् रखा जाता है । अपील फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 11.4.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर